

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
संख्या:-२२१२/१जी- FP/UK/VELEC/30487/2017 देहरादून: दिनांक: ०३ जनवरी, 2018

सेवा में,

प्रभारी सचिव,  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम डामटी-थुनारा के विद्युतीकरण हेतु आपेक्षित  
2.15 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु यूपी०सी०एल० को प्रत्यावर्तन।  
FP/UK/VELEC/30487/2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड प्रति विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः जनहित में प्रस्ताव सेव्हान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

*Vik*  
(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/VELEC/30487/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग, पुरोला।
7. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि�०, देहरादून।

*(विनोद कुमार)*  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

## भाग—IV


(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद-उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम डामटी-थुनारा के विद्युतीकरण हेतु आपेक्षित 2.15 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु यू०पी०सी०एल० को प्रत्यावर्तन। FP/UK/VELEC/30487/2017

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट में 1.75 है० आरक्षित वन भूमि, 0.4 है० सिविल सोयम वन भूमि अर्थात् कुल 2.15 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त योजना हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद-उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम डामटी-थुनारा के विद्युतीकरण प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनोद कुमार  भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर:

तिथि : ०३ / ०१ / २०१८

स्थान : देहरादून

Addl. P.C.C.F./N.O.  
Land Survey Directorate  
Dehradun